FORM NO. III

फर्द अहकाम

( नियम 15 )

# अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर ( राज0)

| श्री दलपत कलाल व अन्य | बनाम | श्री भानु कुमार कलाल व अन्य |
|---|---|---|

किस्म मुकदमा अपील संख्या–54 / 2017 (RCMS/2017/00020)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | |
|---|---|---|---|
| 05.06.2020 | आज दिनांक 05.06.2020 को प्रश्नगत अपील के अधिवक्ता अपीलार्थी मय श्री दलपत कलाल उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो का प्रस्तुत कर अत्यावश्यक कारणों से पत्रावली सिगह से तलब किये जाने का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी के साथ अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 उपस्थित। उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 10.06.2020 को नियत है। उपस्थित अधिवक्तागण एवं पक्षकारों के निवेदन पर पत्रावली सिगह से आज तलब की गई।<br><br>अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2020 बाबत अपील विड्रो करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंटस् के मध्य राजीनामा हो गया है, इसलिए अपीलार्थी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है, इसलिए उक्त प्रकरण/अपील को इसी स्तर पर विड्रो किए जाने का अनुरोध किया है। उपस्थित अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर अपीलार्थी के कथन का समर्थन किया।<br><br>अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से अपील इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया और वह अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है, जिसे अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 द्वारा भी स्वीकार किया गया। यहा पक्षकारों द्वारा न्यायालय हाजा को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया गया है कि लिखित समझौते के आधार पर पक्षकार हस्तगत अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने हेतु स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>संभागीय आयुक्त<br>उदयपुर (राज.) | | (दलपत कलाल–अपीलार्थी)<br><br>(अधिवक्ता अपीलार्थी)<br>तस्दीककर्ता<br><br>(प्रत्यर्थी संख्या–2,3)<br><br>(अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.–1 से<br>तस्दीककर्ता |